की कृपा करेंगे कि जलाशय तटाग्र भूमि पर खेती करने के लिये कुल कितना क्षेत्र उपलब्ध है और तृतीय योजना काल में उसमें से कितने क्षेत्र में सरकार स्वयं खेती करेगी और कितनी पट्टे पर उठाई जायेगी ?

†[RESERVOIR FORESHORE FARMING

247. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state what is the total area of land available for Reservoir Foreshore Farming and how much of that area has been earmarked for agricultural utilisation by Government and how much of that is to be given on lease during the Third Plan period?]

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० वी० अलगेसन) : जानकारी संकलित की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI O. V. ALAGESAN): The information is being collected and will be placed on the Table of the House.]

सूखी खेती

२४८. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूखी खेती की क्या क्या विधियां किसानों को बताई गई हैं और क्या वह किये गये प्रयोगों का एक विवरण सभा पटल पर कृपया रखेंगे ?

†[DRY FARMING

248. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state the methods of Dry Farming which have been brought to the knowledge of farmers and whether he will lay on the Table of the House a statement showing the experiments?]

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : सूखी खेती करना फार्मिंग का एक वैज्ञानिक ढंग है जो कि केवल कम और अनिश्चित वर्षा के उन क्षेत्रों में अपनाया जाती है जिनमें औसतन वार्षिक वर्षा लगभग ३० इंच या उससे कम होती है । ऐसे क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में स्थित हैं ।

सूखी खेती के उपायों का ध्येय :— भूमि कटाव और अवधाव का बचाव, भूमि आर्द्रता का संरक्षण, भूमि उर्वरता की देखभाल और सफलतापूर्वक खेती करने के लिये उपलब्ध भूमि आर्द्रता का दक्ष और प्रभावी उपयोग । किसानों को बताये गये और विभिन्न विकसित तरीके निम्न हैं :—

(१) कटाव और अवधाव की सुरक्षा के लिए कण्टूर बन्ध लगाना ;

(२) आर्द्रता संरक्षण के लिये प्रारम्भिक खेती गहरी और स्तर की खेती ;

(३) भूमि की उर्वरता को बनाये रखने के लिये खादों के विवकपूर्ण उपयोग ;

(४) उपलब्ध भूमि आर्द्रता के दक्ष उपयोग के लिये सीडलिंग की उपयुक्त दर और चौड़ी कतार में स्थान, सुधरे किस्मों का उपयोग ;

(५) आर्द्रता संरक्षण के लिये अन्तः कृषि ;

(६) भूमि उर्वरता के बनाये रखने के लिए फसलों की अदला-बदली और मिश्रित फसल ;

†[ ] English translation.

(७) आर्द्रता संरक्षण के लिये परती छोड़ना और भूमि उर्वरता के लिए पुनः उद्धारण ।

देश के विभिन्न राज्यों में ४२ लाख रुपयों के वित्तीय खर्च पर केन्द्रीय सहायता-प्राप्त योजनाओं के रूप में भूमि संरक्षण कार्यक्रम में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तकनीकी ज्ञान के विकास करने के विचार से ४० सूखी खेती प्रदर्शन परियोजनायें शामिल की गई थी । यह कार्य तीसरी योजना में १९६२-६३ तक जारी रखा जा रहा है ।

सूखी खेती में बहुत से प्रयोग मंजरी और शोलापुर (महाराष्ट्र) बीजापुर और हेगारी (मैसूर), रायचूर और रोहतक (पंजाब) के अनुसन्धान केन्द्रों में किये गये । ये केन्द्र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की संरक्षता में स्थापित किये गये थे । इन केन्द्रों पर किये गये प्रयोग भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा १९६० में प्रकाशित एक निबन्ध में जिसका शीर्षक "भारत में सूखी खेती" है, दिये गये हैं ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (DR. RAM SUBHAG SINGH): Dry Farming is a scientific system of farming adopted in only low and uncertain rainfall areas with an annual average of about 30 in hes and below. Such areas are located in the States of Maharashtra, Gujarat, Mysore, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan.

The object of dry farming measures is prevention of soil erosion and run off, conservation of soil moisture, maintenance of soil fertility and efficient and effective utilisation of available soil moisture for successful agriculture. Various mothods developed and made known to the farmers are:

(1) Contour bunding for prevention of erosion; and run off;

(2) Preparatory tillage—deep and surface tillage for moisture conservation;

(3) Judicious use of manures for maintenance of soil fertility;

(4) Use of improved variety, proper rate of seeding and wide row specing for efficient use of available soil moisture;

(5) Inter-culturing for moisture conservation;

(6) Crop rotation and crop mixture for maintenance of soil fertility;

(7) Fallowing for moisture conservation and recuperation of soil fertility.

With a view to developing technical know-how 40 Dry Farming Demonstration Projects were included during the Second Plan period in soil conservation programme as Centrally sponsored scheme at a financial outlay of Rs. 42 lakhs in the various States in the country. The work is being continued in the Third Plan up to 1962-63.

A large number of experiments have been carried out in Dry Farming at the research centres at Manjri and Sholapur (Maharashtra), Bijapur and Hagari (Mysore), Raichur and Rohtak (Punjab) that were set up under the aegies of Indian Council of Agricultural Research. The experiments carried out at these centres are given in a Monograph "Dry Farming in India" issued by Indian Council of Agricultural Research in 1960.]

DEMAND FOR WAGONS ON BAMRA AND GARPOS STATIONS

249. SHRI BAIRAGI DWIBEDY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the total demand of wagons for different purposes registered on Bamra and Garpos Railway

†[ ] English translation.